भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2597
उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

तमिलनाडु में समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्रीय सहायता

†**2597. डॉ. टी सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा योजना के तहत 2024-25 के लिए केंद्रीय सहायता लंबित है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत, जारी और लंबित निधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के लिए 2024-25 के हिस्से से संबंधित लगभग 2,152 करोड़ रुपये सहित लगभग 3,548 करोड़ रुपये लंबित हैं, और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;
(ग) क्या समग्र शिक्षा के तहत निधि जारी करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के घटकों को अपनाने या पीएम श्री योजना में भागीदारी से संबंधित कोई शर्तें जोड़ी गई हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का उक्त राज्य में छात्रों और शिक्षकों के लिए स्कूली शिक्षा सहायता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लंबित निधियों को जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): 'शिक्षा' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III (समवर्ती सूची) का विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी, 2020) 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसमें शिक्षा प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार देश के प्रत्येक कोने में प्रत्येक बच्चे को एनईपी, 2020 के परिवर्तनकारी लाभों तक पहुंच प्राप्त करवाना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 2021 में समग्र शिक्षा का पुनर्गठन किया गया था। इस प्रकार, समग्र शिक्षा का

कार्यान्वयन एनईपी 2020 का कार्यान्वयन है। इसी तरह, सितंबर, 2022 में शुरू की गई पीएम श्री योजना का उद्देश्य चुनिंदा स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित करना और पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करके एनईपी 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करना है। तथापि, तमिलनाडु राज्य ने पीएम-श्री के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जबकि अधिकांश राज्य एनईपी, 2020 को कार्यान्वित कर रहे हैं, तमिलनाडु इसे पूर्णत: कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के अनुमोदन के आधार पर तथा निर्धारित निधि-साझाकरण पद्धति, दिशानिर्देशों और निधियों की उपलब्धता के अनुसार तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती है। केंद्रीय हिस्सा जारी करना उपयोग प्रमाणपत्र, पहले जारी किए गए निधियों के संबंध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, राज्य के योगदान और योजना मानदंडों के अनुपालन के प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। यद्यपि समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन एनईपी, 2020 का कार्यान्वयन है और तमिलनाडु सरकार ने एनईपी, 2020 को पूर्णत: लागू करने पर सहमति नहीं दी है, फिर भी तमिलनाडु के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ-साथ व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने समग्र शिक्षा के 'आरटीई अधिकार' घटक के स्वीकार्य केंद्रीय हिस्से को जारी करने का निर्णय लिया। तदनुसार, केंद्रीय हिस्सा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 362.81 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी किस्त के रूप में 175.58 करोड़ रुपये सहित 538.39 करोड़ रुपये 'आरटीई पात्रता' घटक के तहत तमिलनाडु सरकार को जारी किए गए हैं और इस घटक के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकार्य शेष राशि को मानक नियमों और शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन जारी किए जाएंगे।

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के तहत तमिलनाडु राज्य सरकार को आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधियां (केंद्रीय भाग)	जारी निधियां (केंद्रीय भाग)
2023-24	2120.25	1871.96
2024-25	2151.59	362.81*
2025-26	1896.42	175.58 (दिनांक 05.03.2026 की स्थिति के अनुसार)

*वित्तीय वर्ष 2025-26 मैं जारी।

*****